बिनोद कुमार रॉय मुख्य न्यायमूर्ति

और एन.के.* सोढ़ी, न्यायाधीश *के समक्ष

एम.आर. SINGLA और अन्य — *अपीलकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य— *उत्तरदाताओं*

L.P.A. 2002 की संख्या 209

26 नवंबर, 2002

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 एस.58 हरियाणा राज्य का पुनर्गठन-तत्कालीन पंजाब राज्य के कर्मचारियों को हरियाणा राज्य को आवंटित किया गया-सेवानिवृत्ति के बाद हरियाणा-पंजाब सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारी अपने पेंशनभोगियों को उदारीकृत पेंशन लाभ प्रदान करना, हरियाणा सरकार ऐसी कोई योजना नहीं अपना रही है क्या हरियाणा राज्य को आवंटित कर्मचारी भी पंजाब राज्य द्वारा दिए गए पेंशन लाभ के हकदार हैं, नहीं- पुनर्गठन के बाद पेंशन का भुगतान करने का दायित्व उत्तराधिकारी राज्य का है और प्रत्येक उत्तराधिकारी राज्य अपने पेंशनभोगियों को कोई अतिरिक्त लाभ दे सकता है- अपील खारिज की जा सकती है।

माना गया कि अधिनियम से जुड़ी चौदहवीं अनुसूची के प्रावधानों के खंड 5(1) को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि एक अधिकारी/कर्मचारी के संबंध में जो 1 नवंबर, 1966 से पहले तत्कालीन पंजाब राज्य में सेवा कर रहा था। और उस दिन या उसके बाद सेवानिवृत्त होता है, तो उसे पेंशन का भुगतान करने का दायित्व उत्तराधिकारी राज्य का होगा। इसका मतलब यह है कि जो अधिकारी 1 नवंबर, 1966 के बाद पंजाब राज्य से सेवानिवृत्त होता है, उसे पेंशन देने का दायित्व पंजाब राज्य का होगा और यदि

वह हरियाणा राज्य से सेवानिवृत्त होता है, तो दायित्व हरियाणा सरकार का होगा।

(पैरा 4)

आगे माना गया कि चौदहवीं अनुसूची के खंड 5(1) के अनुसार, पेंशन का भुगतान करने का दायित्व उत्तराधिकारी राज्यों का है और यह प्रत्येक उत्तराधिकारी राज्य के लिए अपने पेंशनभोगियों को कोई अतिरिक्त लाभ देने के लिए खुला है। पंजाब राज्य ने 31 अगस्त, 1989 की अधिसूचना द्वारा अपने पेंशनभोगियों को उदारीकृत पेंशन लाभ प्रदान किए हैं। हालाँकि, हरियाणा राज्य ने ऐसी किसी भी योजना को अपनाने का विकल्प नहीं चुना है। इसलिए, पंजाब में पेंशनभोगियों को वे लाभ मिलेंगे जबकि हरियाणा में पेंशनभोगी यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें भी वे लाभ केवल इसलिए दिए जाने चाहिए क्योंकि पंजाब में पेंशनभोगी उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा पूरी तरह से गलत है और वे पंजाब सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को दिए गए उदारीकृत पेंशन लाभों का दावा नहीं कर सकते। यदि याचिकाकर्ताओं का दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका मतलब होगा कि हरियाणा राज्य को पंजाब राज्य के समान उदारीकृत पेंशन योजना अपनाने का निर्देश देना होगा और हमारा स्पष्ट मानना है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी कर सकते हैं।

(पैरा 4)

अमर विवेक, एडवोकेट, *अपीलकर्ता* के लिए.

अदालत का निर्णय

एन जे सोढ़ी, न्यायाधीश

(1) क्या अपीलकर्ता और निजी उत्तरदाता (बाद में याचिकाकर्ताओं के रूप में संदर्भित) जो पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के कर्मचारी थे और उन्हें हरियाणा राज्य को आवंटित किया गया था, जिस राज्य से वे 1 नवंबर, 1966 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, अनुदान के हकदार हैं तीसरे पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर, 1966 के बाद पंजाब राज्य में उनके समकक्षों को जो उदारीकृत पेंशन लाभ मिल रहे हैं, वह एकमात्र प्रश्न है जो लेटर्स पेटेंट के क्लॉज

एक्स के तहत इस अपील में हमारे विचार के लिए उठता है।. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्यों पर पहले गौर किया जा सकता है।

(2) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (संक्षेप में अधिनियम) के लागू होने पर, पूर्ववर्ती पंजाब राज्य को दो राज्यों, अर्थात् पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य में विभाजित कर दिया गया। दिन 1 नवंबर, 1966 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का भी गठन किया गया और कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन वर्तमान अपील में हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता जो पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के कर्मचारी थे, उन्हें पुनर्गठन पर हरियाणा राज्य को आवंटित किया गया था और वे 1 नवंबर, 1966 के बाद सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए और हरियाणा राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के साथ काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या को पंजाब राज्य को आवंटित किया गया था क्योंकि यह अब पुनर्गठन पर मौजूद है। पंजाब राज्य ने तीसरे वेतन आयोग नियुक्त किया जिसने राज्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुछ पेंशन लाभ की सिफारिश की और उन सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने 11 अगस्त, 1989 को एक अधिसूचना जारी कर अपने पेंशनभोगियों को उन लाभों का विस्तार किया। इस अधिसूचना का खंड 10 जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, संदर्भ की सुविधा के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "जिन पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों ने 70 वर्ष या 80 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उन्हें उस महीने के अगले महीने से विशेष भत्ता दिया जाएगा, जिस दिन वे 70 या 80 वर्ष की आय प्राप्त करेंगे, उन्हें वृद्धावस्था के साथ उच्च व्यय परिचर्या की क्षतिपूर्ति के लिए विशेष भत्ता दिया जाएगा। नीचे दी गई दरें:-

(1) 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर	मूल पेंशन का 5%
(2) 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर	उपरोक्त (i) सहित मूल पेंशन का 10%

वे पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी, जिन्होंने 31 अगस्त, 1989 तक 70 या 80 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे भी 1 सितंबर, 1989 से इस भत्ते के लिए पात्र होंगे। यह भत्ता महंगाई राहत के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा।"

इस अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि पंजाब राज्य में 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन का 5% और 80 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को अन्य के अलावा मूल पेंशन का 10%पेंशन संबंधी लाभ दिया जाता है। यह लाभ उन्हें 1 सितंबर, 1989 से दिया गया है। पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के उत्तराधिकारी, हरियाणा राज्य ने अपने पेंशनभोगियों के लिए इस उदारीकृत पेंशन योजना को नहीं अपनाया है।

(3) याचिकाकर्ता भी सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं और हरियाणा राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। उनकी शिकायत यह है कि भले ही वे पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के कर्मचारी थे, फिर भी उन्हें उदारीकृत पेंशन लाभ नहीं दिया जा रहा है जो पंजाब राज्य में उनके समकक्षों को मिल रहा है। यह आग्रह किया जाता है कि पुनर्गठन के बाद पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के सभी एक वर्ग से कर्मचारी चाहे वे पंजाब राज्य को आवंटित किए गए हों या हरियाणा राज्य को, पेंशन देने के मामले में उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और इसलिए, हरियाणा राज्य को उन्हें उदारीकृत पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया जाना चाहिए, जिसका आनंद उनके समकक्ष पंजाब राज्य में ले रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वे पंजाब राज्य द्वारा जारी अधिसूचना के खंड 10 या शर्तों के अनुसार उदारीकृत पेंशन लाभ का दावा कर रहे हैं। इस संबंध में निर्भरता अधिनियम की धारा 58 और उससे जुड़ी चौदहवीं अनुसूची के प्रावधानों पर रखी गई है।

(4) हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना है और उनके द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद हम उन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हैं। चूंकि अधिनियम की धारा 58 का संदर्भ दिया गया है, इसलिए संदर्भ की सुविधा के लिए इसे पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा।

"58. पेंशन-पेंशन के संबंध में मौजूदा पंजाब राज्य का दायित्व चौदहवीं अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकारी राज्यों को हस्तांतरित किया जाएगा, या उनके बीच विभाजित किया जाएगा।"

यह धारा पेंशन के संबंध में 'मौजूदा पंजाब राज्य' के दायित्व से संबंधित है। अधिनियम में परिभाषित 'मौजूदा पंजाब राज्य' का अर्थ पूर्ववर्ती पंजाब राज्य है, जो 1 नवंबर, 1966 से पहले अस्तित्व में था और अधिनियम की धारा 58 के अनुसार, पेंशन के संबंध में उस राज्य का दायित्व पंजाब को हस्तांतरित होना था। उत्तराधिकारी राज्यों और इसे अधिनियम से जुड़ी चौदहवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार विभाजित किया जाना है। यह अनुसूची पेंशन के संबंध में पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के दायित्व के बंटवारे से संबंधित है। इस अनुसूची का खंड 5(1) जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:-

"5 (1). मौजूदा पंजाब राज्य के मामलों के संबंध में नियत दिन से ठीक पहले सेवारत और उस दिन या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी अधिकारी की पेंशन के संबंध में दायित्व, अनुदान देने वाले उत्तराधिकारी राज्य का होगा। पेंशन, लेकिन मौजूदा पंजाब राज्य के मामलों के संबंध में नियत दिन से पहले किसी भी ऐसे अधिकारी की सेवा के कारण पेंशन का हिस्सा जनसंख्या अनुपात में उत्तराधिकारी राज्यों के बीच आवंटित किया जाएगा। और पेंशन देने वाली सरकार प्रत्येक अन्य उत्तराधिकारी से इस दायित्व का अपना हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है।"

पूर्वोक्त खण्ड का एक वाचन उस अधिकारी / कर्मचारी के संबंध में इसे बहुतायत से स्पष्ट करता है कि जो पूर्व पंजाब राज्य में 1 नवंबर, 1966 से पहले सेवा कर रहा था और 1 नवंबर, 1966 या उसके बाद सेवानिवृत्त होता है उसे पेंशन देने का दायित्व उत्तराधिकारी राज्य का होगा.एक अधिकारी जो 1 नवंबर, 1966 के बाद सेवानिवृत्त होता है, पंजाब राज्य से उसे पेंशन देने की देयता होगी पंजाब राज्य और अगर वह हरियाणा राज्य से सेवानिवृत्त होता है तब दायित्व हरियाणा सरकार का होगा. खण्ड 5 (1) अधिनियम हमें बताता है कि ऐसे अधिकारी की पेंशन का हिस्सा जो पूर्ववर्ती में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए जिम्मेदार है 1 नवंबर, 1966 से पहले पंजाब राज्य के बीच जनसंख्या अनुपात में आवंटित किया जाएगा और सरकार में पेंशन देने वाला उत्तराधिकारी राज्य दायित्व का अपना हिस्सा अन्य उत्तराधिकारी से प्राप्त करने का हकदार होगा.दूसरे शब्दों में, इस खंड के अनुसूची के अनुसार ऐसे अधिकारी की पेंशन का दायित्व उत्तराधिकारी राज्य का है और वह राज्य दूसरे उत्तराधिकारी से उस अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती पंजाब

राज्य में प्रदान की गई 1 नवंबर, 1966 से पहले की सेवा से संबंधित पेंशन की देनदारी में अपना हिस्सा वसूली कर सकता है. पंजाब के तत्कालीन राज्य में उस अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सेवा 1 नवंबर, 1966 से पहले और उस दिन या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए अधिकारी के सन्दर्भ में न तो धारा 58 और न ही चौदहवीं अनुसूची कहती है कि पेंशन में समानता को बनाए रखना होगा.. ये प्रावधान नहीं हैं की उत्तराधिकारी राज्यों की देयता 1 नवंबर, 1966. के बाद की अवधि के लिए भी हे. यह उत्तराधिकारी राज्यों के लिए खुला है की अपने पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान के मामले में अपनी नीतियां बना सकें लेकिन निश्चित रूप से, उन्हें अपना योगदान, पेंशन के वह भाग के संबंध में देना होगा, जो एक अधिकारी से जुड़ा हुआ हो, जिसने 1 नवंबर, 1966 से पूर्व, पूर्व पंजाब राज्य में सेवा प्रदान की हो.चूंकि याचिकाकर्ताओं ने 1 नवंबर, 1966 से पहले पंजाब के पूर्ववर्ती राज्य में सेवा प्रदान की थी और उस दिन के बाद हरियाणा राज्य से सेवानिवृत्त हुए, उन्हें पेंशन हरियाणा राज्य से लेना हैं , जो वे रहे ले हैं.खंड 5 (1) चौदहवीं अनुसूची के अनुसार , पेंशन का भुगतान करने की देयता उत्तराधिकारी राज्यों की है और यह उत्तराधिकारी में से प्रत्येक के लिए खुला है अपने पेंशनरों को कोई अतिरिक्त लाभ देने के लिए. पंजाब राज्य ने 31 अगस्त, 1989 को नोटिफ़ैटिओइन द्वारा पेंशनरों को पेंशन लाभ.उदारीकृत किया है. हालाँकि, हरियाणा राज्य ने ऐसी किसी भी योजना को अपनाने का विकल्प नहीं चुना है. इसलिए, पंजाब के पेंशनभोगियों को वे लाभ मिलेंगे जबकि हरियाणा के पेंशनभोगी यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें भी वे लाभ केवल इसलिए दिए जाने चाहिए क्योंकि पंजाब के पेंशनभोगियों को वे लाभ मिल रहे हैं. याचिकाकर्ताओं का दावा पूरी तरह से गलत है और वे पंजाब सरकार द्वारा अपने पेंशनभोगियों को दिए गए उदारीकृत पेंशन लाभों का दावा नहीं कर सकते। यदि याचिकाकर्ताओं का दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि हरियाणा राज्य को पंजाब राज्य के समान उदारीकृत पेंशन योजना अपनाने का निर्देश देना होगा और हमारा स्पष्ट मानना है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं है। जारी कर सकते हैं। मामले के इस दृष्टिकोण से, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज करते हैं।

बिनोद कुमार रॉय मुख्य न्यायमूर्ति

(5) मैं सहमत हूं ।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिकअधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

अंबाला,हरियाणा